(2)

संख्या सा–3–882 / दस––910–84

प्रेषक,

श्री हर गोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 9 मई, 1985

विषय :––भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त सेवा के पेन्शनीय भार का विभाजन ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–1279 / दस––917–79, दिनांक 13 सितम्बर, 1982 में यह आदेश जारी किये गये थे कि यदि राज्य सरकार का कोई अस्थायी कर्मचारी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से भारत सरकार के अधीन सेवा ग्रहण कर लेता है और अन्ततः वहीं स्थायी हो जाता है तो उसके द्वारा इस शासन के अधीन अर्पित अस्थायी सेवा का लाभ उसकी पेन्शन हेतु भारत सरकार के अधीन दिया जायेगा बशर्ते कि उसने उक्त सेवा ग्रहण करने हेतु उचित माध्यम से आवेदन किया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अनुमति प्रदान कर दी गई हो । यदि किसी प्रशासनिक कारणों से अथवा तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसे अपने अस्थायी पद से त्याग-पत्र देना पड़ा हो और त्याग-पत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो कि ऐसा त्याग-पत्र उचित अनुमति से प्रशासनिक कारणों अथवा किसी तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिये दिया गया था तो ऐसे मामलों में भी त्याग-पत्र से पूर्व की सेवा का लाभ दिया जा सकेगा । इसके विपरीत स्थायी कर्मचारियों के मामलों में समान परिस्थितियों में अपने पद से त्याग-पत्र देकर भारत सरकार के अधीन नई नियुक्ति ग्रहण कर लेने पर त्याग-पत्र से पूर्व की सेवा का लाभ नहीं दिया जाता है ।

2––इस सम्बन्ध में भारत सरकार का परामर्श भी प्राप्त किया गया है और तदनुसार शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अस्थायी कर्मचारियों के समान उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 1982 में जारी आदेशों का लाभ स्थायी कर्मचारियों के मामलों में भी समान परिस्थितियों में दिया जायेगा ।

भवदीय,
हर गोविन्द डबराल,
विशेष सचिव ।

संख्या सा–3–882 (1) / दस––910–84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

(1) महालेखाकार (II), लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव ।

पी०एस०यू०पी०––ए०पी० 4 सा० भाषा––7–6–85––(862)––1985––10,000–(प्रो०)